

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 1970/कार्तिक 25, 1892

No. 185] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 1970/KARTIKA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th November, 1970

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970—March, 1971 (Amendment No. 43).*

No. 164-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April, 1970—March 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70, dated the 31st March, 1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No of the Red Book Vol. I)	Reference	Amendment
201	P. I. 1 Col. 5 Note (I)	The existing entry may be corrected to read as under :— “Nominations under I (i) and I (ii) above together shall not exceed 75% of the overall entitlement and the remaining 25% shall be utilised for import of raw silk only.”
202	P. I. 2 Col. 5 Note (I)	The existing entry may be corrected to read as under :— “Nominations under I (i) and I (ii) above together shall not exceed 75% of the overall entitlement and the remaining 25% shall be utilised for import of raw silk only.”
203	P. I. 3 Col. 5	The existing Note may be corrected to read as under :— “Note.—Nominations under I (i) and I (ii) above together shall not exceed 75% of the overall entitlement and the remaining 25% shall be utilised for import of raw silk only.”
204	P. I. 4 Col. 5 Note	The existing Note may be corrected to read as under :— “Nominations under I (i) and I (ii) above together shall not exceed 75% of the overall entitlement and the remaining 25% shall be utilised for import of raw silk only.”

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 नवम्बर 1970

विषय.—अप्रैल 1970-मार्च 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 43)

सं० 164-आई० डी० सी० (नो० ए०)/70.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 48-आई० टी० सी० (नो० ए०)/70 दिनांक 31-3-1970 के अन्तर्गत अप्रैल 1970-मार्च 1971 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक बालुम 2 (रेड बुक) में निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नोबे निर्दिष्टानुसार उपर्युक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेडबुक (वालुम-2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
201	पी-1-2 कालम-5 टिप्पणी (1)	वर्तमान प्रविष्टि को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए शुद्ध किया जाए :— “उपर्युक्त 1(1) तथा 1(2) के अन्तर्गत साथ-साथ नामांकन समस्त हकदारी के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे तथा शेष 25 प्रतिशत का उपयोग केवल कच्चे रेशम के आयात के लिए होगा।
202	पी-1-2 कालम-5 टिप्पणी (1)	वर्तमान प्रविष्टि को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए शुद्ध किया जाए :— “उपर्युक्त 1(1) तथा 1(2) के अन्तर्गत साथ-साथ नामांकन समस्त हकदारी के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और शेष 25 प्रतिशत का उपयोग केवल कच्चे रेशम के आयात के लिए होगा।
203	पी-1-3 कालम-5	वर्तमान टिप्पणी को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए शुद्ध किया जाए :— “टिप्पणी—उपर्युक्त 1(1) तथा 1(2) के अन्तर्गत साथ-साथ नामांकन समस्त हकदारी के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे तथा शेष 25 प्रतिशत का उपयोग केवल कच्चे रेशम के आयात के लिए होगा।”
204	पी-1-4 कालम-5 टिप्पणी	वर्तमान टिप्पणी को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिये शुद्ध किया जाए :— “उपर्युक्त 1(1) तथा 1(2) के अन्तर्गत साथ-साथ नामांकन समस्त हकदारी के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे तथा शेष 25 प्रतिशत का उपयोग केवल कच्चे रेशम के आयात के लिए होगा।”

भार० जे० रबीलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

